न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या— 07/2013—14

श्री अनिल कुमार
—बनाम—
श्री बिजेन्द्र कुमार आदि

उपस्थितिः श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0 सदस्य(न्यायिक)

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री विजय कुमार गुप्ता।
अधिवक्ता उत्तरदाता : श्री अरूण सक्सेना।

बावत

मौजा सुल्तानपुर मजरी,
तहसील व जिला हरिद्वार।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अपर अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या—1 वर्ष 2013—14 श्री बिजेन्द्र कुमार बनाम अनिल कुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 28—02—2014 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिपक्षी श्री बिजेन्द्र कुमार ने विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के समक्ष काश्तकारी अधिनियम की धारा—59/61 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया। इस वाद में प्रतिपक्षी श्री बिजेन्द्र की ओर से विद्वान सहायक कलेक्टर के समक्ष आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा—151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25—02—2014 प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 25—02—2014 को वाद की अगली तिथि तक वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए। इस वाद में दिनांक 26/28—02—2014 को निगरानीकर्ता श्री अनिल कुमार ने सहायक कलेक्टर, हरिद्वार के आदेश दिनांक 25—02—2014 को रिकॉल किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर विद्वान सहायक कलेक्टर ने आदेश दिनांक 28—02—2014 से यथास्थिति आदेश दिनांक 25—02—2014 को निरस्त करते हुए दोनों प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि नियत की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—02—2014 के विरूद्व प्रतिपक्षी श्री बिजेन्द्र कुमार ने विद्वान अपर आयुक्त, गढवाल मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसपर आदेश दिनांक 28—02—2014 पारित करते हुए अपर आयुक्त ने विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के आदेश दिनांक 28—02—2014 का कियान्वयन स्थगित करते हुए आदेश दिनांक 25—02—2014 को बहाल किया गया। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

निगरानी में प्रतिपक्षी बिजेन्द्र कुमार की ओर से कैविएट प्रस्तुत किया गया है।

मैंने निगरानी की ग्राह्यता के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता एवं उत्तरदाता(कैविएटर) के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

विद्वान सहायक कलेक्टर ने सर्वप्रथम दिनांक 25–02–2014 को वादग्रस्त भूमि पर अगली तिथि तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए। तत्पश्चात प्रतिवादीगण/ निगरानीकर्ता के आवेदन दिनांक 26/28–02–2014 पर उक्त आदेश को निरस्त कर दिनांक 06–03–2014 की सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की। इन दोनों आदेशों की भाषा देखने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इनमें से कोई भी आदेश उभयपक्षों को सुनकर तथा सभी स्थितियों का संज्ञान लेकर पारित किया गया है जबकि आदेश दिनांक 25–02–2014 मात्र अगली तिथि तक ही प्रभावी रहनी थी जिस दिन उभयपक्षों को सुनकर इसके निरन्तरता/विस्तारण अथवा वापस लिए जाने पर निर्णय लिया जा सकता था, परन्तु जो भी हो, दोनों आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किए गए जबकि आदेश दिनांक 25–02–2014 को निरस्त करने अथवा उसे वापस लिए जाने अथवा उसे विस्तारित किए जाने हेतु उभयपक्षों को सुना जाना आवश्यक था। तद्नुसार विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 28–02–2014 हड़बडी तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की अनदेखी कर पारित किया गया है। इसी आदेश के विरूद्व विद्वान अपर आयुक्त, गढवाल मण्डल के न्यायालय में प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण द्वारा अपील योजित की गई एवं विद्वान अपर आयुक्त द्वारा विद्वान सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 28–02–2014 का कियान्वयन स्थगित कर आदेश दिनांक 25–02–2014 को बहाल किया गया जिसके विरूद्व वर्तमान निगरानी योजित हुई है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण स्वीकार करते हैं कि विद्वान अपर आयुक्त एवं विद्वान सहायक कलेक्टर के सम्बन्धित आदेश वादकालीन एवं अन्तर्वर्तीय (interlocutary) हैं जिसके विरूद्व अपील अथवा निगरानी विधितः वांछनीय नहीं हैं। अन्तर्वर्ती आदेश निरस्त अथवा वापस लिए जाने हेतु उसी न्यायालय में प्रार्थना की जा सकती है। यह भी एक आवश्यक तथ्य है कि वाद की विषयवस्तु को वाद में अन्तिम निर्णय पारित होने तक सुरक्षित रखा जाना विधितः आवश्यक है ताकि अन्ततः पारित होने वाला निर्णय निष्फल व निष्प्रभावी न हो सके।

प्रकरण में तथ्यों के उपरोक्त वर्णित पृष्ठ भूमि के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि उभयपक्षों ने विद्वान अपर आयुक्त एवं इस स्तर पर वादकालीन/अन्तर्वर्ती आदेश के विरूद्व ही अपील एवं निगरानी योजित की है जिसके सम्बन्ध में अनेकों न्यायिक दृष्टान्त, यथा उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत आर0डी0 2006 पृष्ठ–660, आर0डी0 2003(94) पृष्ठ–120 एवं आर0डी0(एच) 2012 पृष्ठ–42 न्यायिक सिद्वान्त सम्मिलित हैं जिनमें कहा गया है कि वादकालीन/अन्तर्वर्ती आदेशों के विरूद्व अपील/निगरानी अग्राह्य है। जहां तक निगरानीकर्ता

के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर0डी0 2009(106) पृष्ठ–784, आर0जे0 1995 पृष्ठ–193 का प्रश्न है इनका सम्बन्ध प्रत्यक्षतः प्रकरण के गुणदोष के सम्बन्ध में हैं जिनका यथासमय संज्ञान लिया जा सकता है। इस न्यायालय ने भी कई प्रकरणों में यथा निगरानी संख्या–78/2006–07 सुरेन्द्र सिंह बनाम शमशेर सिंह आदि, निगरानी संख्या–108/13–14 विनोद कुमार हाण्डा बनाम अरूण कुमार हाण्डा आदि निगरानी संख्या–15 एवं 16 वर्ष 2013–14 अनिल क्षेत्री बनाम राकेश गुप्ता आदि में वादकालीन/अन्तर्वर्ती आदेशों के विरूद्व निगरानी/अपील ग्राह्य न होने का विनिश्चय किया है। वर्तमान प्रकरण में भी निर्णय यही है। परन्तु विद्वान अपर आयुक्त ने स्वंय वादकालीन/अन्तर्वर्ती आदेश के विरूद्व अपील ग्रहण की है जो कि उपरोक्त विवेचित स्थिति के अनुरूप नहीं है। तद्नुसार प्रथम अपील ग्रहण करने एवं प्रथम अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश का कियान्वयन स्थगन सम्बन्धी विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल के आदेश दिनांक 28–02–2014 एवं विद्वान सहायक कलेक्टर, हरिद्वार के आदेश दिनांक 28–02–2014 (स्वतः संज्ञान लेकर) की प्रत्यक्ष अपोषणीयता के दृष्टिगत निगरानी ग्रहण कर यथोचित आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वर्तमान निगरानी को ग्रहण कर आंशिक रूप से स्वीकार कर विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–02–2014 एवं विद्वान सहायक कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–02–2014 को खण्डित कर वाद/प्रकरण सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25–02–2014 को वापस लिए जाने अथवा विस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में उभयपक्षों को विधितः सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

दिनांकः 01 अप्रैल, 2014

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।